E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0 : 03 / 02 – भू0अ0नि0 – राज्य यो0 (आरोप) सुपौल –32 / 2023 3447 **पटना, दिनांक**:– 02/06/2025

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 871 दिनांक 02.11.2024 द्वारा श्री मो0 साबीर आजम (ASO07001), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध दिनांक 18.09.2024 को आकस्मिक अवकाश का आवेदन ई–मेल के माध्यम से देने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 14478 दिनांक 02.12.2024 द्वारा श्री आजम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 851 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। तदोपरान्त बन्दोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 185 दिनांक 05.03.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में अंकित किया गया है कि श्री आजम को योगदान के पश्चात् द्वितीय चरण के सर्वेक्षण कार्य के निमित मरौना शिविर में संबंद्ध किया गया। R2R में अनुपस्थिति जाँच के क्रम में बिना बन्दोबस्त पदाधिकारी के संज्ञान में दिये एवं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 20.09.2024 से अनाधिकृत CL दर्ज किया जा रहा था। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के द्वारा फोन किये जाने पर कॉल रिसीव नहीं किया गया जिसके उपरांत उक्त कार्यालय के पत्रांक 796 / बन्दोबस्त दिनांक 01.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका जबाव समर्पित नहीं किया गया है।

श्री आलम के द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन ई–मेल के माध्यम से भेजा गया है, लेकिन शिविर प्रभारी होने के नाते मुख्यालय छोड़ने की सूचना बन्दोबस्त पदाधिकारी को नहीं दिया जाना एवं स्पष्टीकरण पूछे जाने पर प्रत्युत्तर समर्पित नहीं करना उनके कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। उनके स्पष्टीकरण प्रत्यूत्तर को स्वीकार योग्य नहीं बताते हुए उनके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही अब तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बन्दोबस्त पदाधिकारी का पत्रांक 478 दिनांक 22.05.2025 द्वारा संविदा समाप्त करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित की गयी है।

सभी अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण किया जाना है। इनका इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने से इन्हें आवंटित कार्य बाधित हुआ है। इनका आचरण स्वच्छ संविदा कर्मी के सर्वथा प्रतिकूल है। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा समाप्त किया जाना समीचीन है।

अतः ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 यथा संशोधित नियमावली, 2022'' की कंडिका–08 (4) के तहत श्री आजम (ASO07001), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

29/5/25

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / 02 – भू0अ0नि0 – राज्य यो0 (आरोप) सुपौल –32 / 2023 3447 **पटना, दिनांक** : 02/06/2025

प्रतिलिपि : श्री मो0 साबिर आजम (ASO07001), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/25

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\ANUSHKA 2025\Mohit ji\Order\32-2023 28-05-2025 (Supaul) 2 doc

ज्ञापांक : 03 / 02 – भू0अ0नि0 – राज्य यो0 (आरोप) सुपौल –32 / 2023 3447 **पटना, दिनांक** : 02/06/2025

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/25

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / 02 – भू0अ0नि0 – राज्य यो0 (आरोप) सुपौल –32 / 2023 3447 **पटना, दिनांक** : 02/06/2025

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत संबंधित कर्मी की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

29/5/25

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप